क्रम संख्या–198 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 330/XXXVI(3)/2015/62(1)/2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015' पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में–

(क) खण्ड (कक) में–

(एक) शब्द "यंत्र/उपकरण" के स्थान पर शब्द "कोई यंत्र या इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम या कोई अन्य उभरती हुई तत्समान तकनीक" रख दिये जायेंगे;

(दो) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण:–

डिजिटल प्रोजैक्शन सिस्टम हार्डडिस्क के माध्यम से या सैटेलाईट के माध्यम से या अन्यथा डिजिटल प्रिन्ट डिलीवरी प्राप्त करके डिजिटल सिनेमा प्रदर्शन में प्रयुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का सैट है। "

(ख) खण्ड (ककक) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

"वीडियो द्वारा प्रदर्शन" से अभिप्रेत है वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा प्ले करे या रिप्ले करके पूर्व रिकार्डिड कैसेट पर सचल चित्रों या चित्रों के क्रम को, प्रवेश के लिए/अन्य किसी भी रूप में भुगतान प्राप्त करके, सार्वजनिक/अन्य किसी भी रूप में प्रदर्शन करना, पूर्व रिकार्डेड कैसिट या

अन्य कोई यंत्र या इलैक्ट्रोनिक डिजिटल प्रोजैक्शन सिस्टम या अन्य कोई उभरती हुई तत्समान तकनीक चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, चाहे उसका प्रदर्शन टेलीविजन सैट की स्कीन पर या वीडियो स्कोप या अन्यथा किया जायः–

(ग) खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः संख्यांकित करते हुए खण्ड छ को निम्नवत् रख दिया जायेगा, अर्थात्

(छ) वीडियो का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसमें वीडियो कैसेट से या किसी अन्य युक्ति से, चाहे जो भी नाम हो, रिकॉर्ड करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 330/XXXVI(3)/2015/62(1)/2015
Dated Dehradun, November 17, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 2015'** (Adhiniyam Sankhya 20 of 2015).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 November, 2015.